17

★ प्रस्ताव 17 के पक्ष में तर्क ★

प्रस्ताव 17 पर हाँ में मतदान करें

प्रस्ताव 17 आसान है—यह एक व्यक्ति के उसकी सज़ा की अवधि पूरी होने पर मतदान करने के अधिकार को बहाल करता है।

- जब कोई व्यक्ति अपनी जेल की सज़ा पूरी करता है, तो उन्हें समाज में फिर से शामिल करने और उनके समुदाय में हिस्सेदारी के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उनके मतदान करने के अधिकारों को बहाल करने से ऐसा होता है। नागरिक जुड़ाव फिर से अपराध करने की दरों को कम करने से संबंधित है। जब लोगों को लगता है कि वे अपने समुदाय के मूल्यवान सदस्य हैं, तो उनके वापस जेल जाने की संभावना कम होती है।
- 19 अन्य राज्यों ने उन लोगों को फिर से मतदान करने की अनुमति दी जब वो सफलतापूर्वक उनकी जेल की सज़ा पूरी कर चुके थे। California में भी ऐसा करने का समय आ गया है।
- Florida के अध्ययन में पाया गया कि जिन लोगों ने जेल की सज़ा पूरी कर ली और उनके मतदान के अधिकार बहाल किए गए थे, उनके भविष्य में अपराध करने की संभावना कम हुई थी।
- जेल की सज़ा पूरी कर चुके लगभग 50,000 California निवासी स्थानीय, राज्य और संघीय स्तर पर करों का भुगतान करते हैं। हालांकि, वे सरकार के किसी भी स्तर पर मतदान करने में सक्षम नहीं हैं।

प्रस्ताव 17 के वास्तविक जीवन में प्रभाव होंगे—अपनी सज़ा पूरी करने वाले CALIFORNIA वासियों की कहानियां

पैरोल मंडल द्वारा Richard को रिहा किए जाने के बाद, वो यह जानकर हैरान रह गए कि वह अब भी California में मतदान नहीं कर सकता है। पिछले 20 वर्षों में, Richard वह बन गए हैं जिसे वह कहते हैं "दूसरों के लिए बना आदमी"—जो जेल में रहते हुए और बेहतर आपराधिक न्याय नीतियों की वकालत करने के साथ ड्रग और अल्कोहल परामर्श कार्यक्रम विकसित करने में मदद कर रहे हैं। Richard ने कहा, "मैं कड़ी मेहनत करता हूं, अपने समुदाय की सेवा करता हूं, करों का भुगतान करता हूं, समुदाय को वापस देता हूं, और मैं अब भी इस देश का नागरिक हूं," "मेरा मानना है कि मुझे इस कारण फिर से मतदान करने का अधिकार मिलना चाहिए।"

Andrew नौसेना के अनुभवी व्यक्ति हैं, इन्होंने अपने देश की सेवा की, लेकिन इनको शराब की लत लग गई और इन्होंने बड़ी गलतियां कीं, जिसके कारण वह जेल गए। उन्होंने अपने पुनर्वास की दिशा में काम करके पैरोल अर्जित की, और अब उनकी जेल की सज़ा पूरी हो गई है, वह अपने समुदाय में योगदान करना सीखने के अनुभव से नयी ज़िंदगी जी रहे हैं। Andrew कहते हैं, "जीवन में आपको जो भी मिलता है मैं उसके लिए कड़ी मेहनत करने में विश्वास करता हूं, और मेरा मानना है कि मैंने मतदान का अधिकार अर्जित किया है, इसलिए मैं अपने समुदाय का संपूर्ण सदस्य बन सकता हूं।"

प्रस्ताव 17 का समर्थन

पैरोल का उद्देश्य समुदाय में पुनर्गठन की अवधि है। जेल की सज़ा पूरी करने वाले पैरोल पर लोग परिवार का पालन करते हैं, नौकरी करते हैं, कर देते हैं, और हर संभव तरीके से समुदाय में योगदान देते हैं। किसी व्यक्ति की मतदान योग्यता बहाल करने से कलंक दूर हो जाता है और समुदाय से उनका संबंध मजबूत करने में सहायता मिलती है।

Yeson17.vote #FreetheVote

CAROL MOON GOLDBERG, अध्यक्ष
California के महिला मतदाताओं की लीग

JAY JORDAN, कार्यकारी निदेशक
California वासी सुरक्षा और न्याय के लिए

KEVIN MCCARTY, असेंबली सदस्य
प्रस्ताव 17 लेखक

★ प्रस्ताव 17 के पक्ष में तर्क का खंडन ★

समर्थकों का दावा है कि प्रस्ताव 17 सज़ायाफ्ता अपराधीके मतदान के अधिकार "उनकी जेल की सज़ा पूरी होने पर बहाल करेगा।" यह गलत है।

सच्चाई: California में, पैरोल जेल की सज़ा का कानूनी भाग है और सज़ायाफ्ता अपराधी को सफलतापूर्वक पैरोल पूरी करनी चाहिए, सज़ा पूरी करके जेल से रिहा होने के बाद उनके मतदान के अधिकार बहाल किए जाते हैं। *प्रस्ताव 17 इस महत्वपूर्ण आवश्यकता को समाप्त कर देगा।*

समर्थकों ने आपको यह नहीं बताया कि 30 राज्यों को *सज़ायाफ्ता केमतदान के अधिकार को बहाल करने से पहले अपनी जेल की सज़ा को पूरी करना बड़ी आवश्यकता है*। अधिकांश को पैरोल के पूरा होने की आवश्यकता होती है जबकि कुछ को अतिरिक्त कार्यकारी कार्रवाई की आवश्यकता होती है।

समर्थकों ने दो रिहा अपराधियों की कहानियों को विशिष्ट रूप से दर्शाया है, "Richard" और "Andrew" उन्होंने आपके साथ उनके आपराधिक इतिहास को साझा नहीं किया है—जैसे कि चोर, सशस्त्र लुटेरे, हत्यारे और बच्चों का उत्पीड़न करने वाले सभी समान हों। *सच्चाई से बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता है।*

सच्चाई: हर "Richard" या "Andrew" के साथ "Robert" या "Scott" भी है जो पैरोल पर हिंसक अपराध करते हैं। प्रस्ताव 17 इस गंभीर पैरोल की सज़ा को पूरा करने से पहले मतदान के अधिकार को बहाल करता है।

पैरोल वह समायोजन अवधि है जिसमें हिंसक अपराधी साबित करते हैं कि वे अब सभ्य समाज में रहने वाले निर्दोष नागरिकों के लिए हिंसक खतरा नहीं हैं। उनकी हर गतिविधि की जांच और निगरानी प्रशिक्षित राज्य अधिकारी करता है।

आधार रेखा: प्रस्ताव 17 हत्या, बलात्कार, बच्चों का उत्पीड़न, और अन्य गंभीर और हिंसक अपराध करने वाले अपराधियों के लिए पैरोल सहित उनकी सज़ा पूरी करने से पहले मतदान करने की अनुमति देगा। *प्रस्ताव 17 न्यायपूर्ण नहीं है।* प्रस्ताव 17 पर नहीं में मतदान करें

HARRIET SALARNO, संस्थापक
क्राइम विक्टिम्स यूनाइटेड ऑफ California

JIM NIELSEN, California राज्य सीनेटर

RUTH WEISS, उपाध्यक्ष
California चुनाव अखंडता परियोजना

इस पृष्ठ पर मुद्रित तर्क लेखकों के विचार हैं, और किसी भी आधिकारिक एजेंसी द्वारा सटीकता के लिए इनकी जांच नहीं की गई है।

★ प्रस्ताव 17 के विरोध में तर्क ★

प्रस्ताव 17 हत्या, बलात्कार, बच्चों का यौन शोषण, अपहरण, हमला, गिरोह के साथ बंदूक वाले अपराध करने और मानव तस्करी करने वाले अपराधियों को पैरोल सहित उनकी सज़ा पूरी करने से पहले मतदान करने की अनुमति देगा।

1974 में, California के मतदाताओं ने सज़ायाफ्ता अपराधी को उनकी सज़ा (पैरोल सहित) पूरी करने के बाद मतदान करने के अधिकार को बहाल करने की अनुमति दी थी। हाल ही में, California के जेल सुधार उपायों को अपनाकर जेलों और स्थानीय जेलों से शातिर अपराधियों के अलावा सभी को छोड़ दिया है। काउंटी जेलों में कार चोरी या ड्रग डीलिंग जैसी अहिंसक अपराध के दोषी कैद हैं *और उनको सज़ा काटते हुए मतदान करने का अधिकार है*। उनके लिए कोई पैरोल नहीं है।

CALIFORNIA में पैरोल गंभीर और हिंसक अपराधियों के लिए है।

जेल में बंद अपराधियों को हत्या या मानवहत्या, लूट, बलात्कार, बच्चों का उत्पीड़न या अन्य गंभीर और हिंसक अपराधों और यौन अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया है। उन्होंने निर्दोष, कानून का पालन करने वाले नागरिकों को प्रताड़ित किया है जिनको इन अभियुक्तों के अपराधों के बुरे सपने जीवन भर आते हैं। कुछ आवाज़े, महक और रोज़मर्रा के अनुभव हमेशा उन्हें मानसिक और भावनात्मक रूप से अपराध की याद दिलाते हैं, और उनके लिए यह सज़ा अंतहीन है। यह जानना कि उनकी, पीड़ितों के साथ सामाजिक समानता होगी, इससे पहले कि वे पूरी तरह से पुनर्वासित किए जाएं, ये उनके जीवन भर के दर्द और दुख को बढ़ाता है।

पैरोल पूर्ण स्वतंत्रता से पहले पुनर्सुधार साबित करने के लिए है, जिसमें मतदान के अधिकार को पुनः दिया जाना भी शामिल है।

गंभीर या हिंसक अपराध के लिए सज़ा की अवधि पूरी करने के बाद जेल से रिहा किए गए अपराधियों को उनकी सज़ा के तहत पैरोल (आमतौर पर तीन साल) को पूरा करने की आवश्यकता होती है। पैरोल वह समायोजन अवधि है जिसमें हिंसक अपराधी स्वतंत्र समाज में उचित व्यवहार करने के लिए अनुकूल बनने की अपनी इच्छा को साबित करते हैं। उनकी हर गतिविधि की जांच और निगरानी प्रशिक्षित राज्य अधिकारी करता है। *यदि राज्य उन पर भरोसा नहीं करता है कि वे यह चुनाव कर सकते हैं कि उन्हें कहां रहना है या यात्रा करनी है, किसके साथ जुड़ना है और कौन सी नौकरी है, तो उन्हें उन फैसलों पर भरोसा नहीं करना चाहिए जो समाज के अन्य सभी सदस्यों के जीवन और आय को प्रभावित करेंगे।*

अधिकांश पैरोल पर जाने वाले व्यक्ति लड़खड़ा जाते हैं और उनमें से 50% नए अपराधों के लिए दोषी हैं।

दुर्भाग्य से, रिहा होने के तीन साल में लगभग पैरोल पर जाने वाले व्यक्तियों में से आधे नए अपराध करते हैं। जाहिर है, वे कानून का पालन करने वाले नागरिकों के समाज में शामिल होने के लिए तैयार नहीं हैं। जीवन में सुविधाएं और विशेषाधिकार अर्जित किए जाने और उचित होने चाहिए। हिंसक अपराधियों को उनकी पैरोल की अवधि समेत संपूर्ण सज़ा सफलतापूर्वक पूरा करने से पहले मतदान का अधिकार देनादसवीं कक्षा के अंत में छात्रों को हाई स्कूल डिप्लोमा देने जैसा है। इसका कोई अर्थ नहीं है, और यह उनके भविष्य और पूरे समाज को नुकसान पहुंचाता है।

न्याय की मांग है कि प्रस्ताव 17 पर नहीं में मतदान किया जाए।

अपराध के पीड़ितों को न्याय मिलना चाहिए। हिंसक अपराधियों को उनकी सज़ा पूरी होने से पहले मतदान करने का अधिकार देना न्यायपूर्ण नहीं है। अपराधियों के साथ भी न्याय होना चाहिए। उनका आत्म-सम्मान यह जानने पर निर्भर करता है कि उन्होंने अपने अपराधों के लिए संपूर्ण क्षतिपूर्ति की है और दूसरा मौका पाया है। California वासियों को ऐसी न्याय प्रणाली प्राप्त करने का अधिकार हैं जहां अपराधी अपने अपराधों के लिए सज़ा पाते हैं, उनके पुनर्वास को साबित करते हैं, और उसके बाद ही उनका नागरिक समाज में वापस स्वागत किया जाता है। प्रस्ताव 17 न्यायपूर्ण नहीं है।

प्रस्ताव 17 पर नहीं में मतदान करें

HARRIET SALARNO, संस्थापक
क्राइम विक्टिम्स यूनाइटेड ऑफ California

JIM NIELSEN, चेयरमैन
California मंडल ऑफ़ प्रिज़न टर्म्स (सेवानिवृत्त)

RUTH WEISS, उपाध्यक्ष
चुनाव अखंडता परियोजना California

17

★ प्रस्ताव 17 के खिलाफ तर्क का खंडन ★

प्रस्ताव 17 पर हाँ में मतदान करें

प्रस्ताव 17 का विरोध कर रहे लोग लगभग 50 साल पुरानी अप्रचलित मतदान नीति को ठीक करने की कोशिश करने और आपको रोकने के लिए डराने वाली रणनीति का उपयोग कर रहे हैं।

तथ्य:

- प्रस्ताव 17 को उनकी जेल में सज़ा की अवधि के पूरा होने पर नागरिक के अधिकार को बहाल करने के लिए केवल 19 अन्य राज्यों के साथ California को संरेखित करना होगा जो पहले से ही ऐसा करते हैं।
- Florida में एक ऐसा ही कानून बदलने के बाद, पैरोल कमीशन के अध्ययन में पाया गया कि जिन नागरिकों ने जेल की सज़ा पूरी कर ली है और उनके मतदान के अधिकार बहाल थे, *उनके भविष्य में अपराध करने की संभावना कम थी*।
- पैरोल का उद्देश्य समुदाय में पुनर्गठन की अवधि है। पैरोल पर नागरिक जिन्होंने अपनी जेल की सज़ा पूरी कर ली है, वे परिवार का पालन करते हैं, नौकरी करते हैं, कर का भुगतान करते हैं और हर संभव तरीके से समाज में योगदान करते हैं।
- लगभग 50,000 California वासियों ने अपनी जेल की सज़ा पूरी कर ली है, स्थानीय, राज्य और संघीय स्तर पर कर का भुगतान करते हैं और फिर भी, सरकार के किसी भी स्तर पर मतदान करने में सक्षम नहीं हैं।

विरोध करने वालों की डराने की रणनीति पर विश्वास न करें। डेमोक्रैट्स और रिपब्लिकन प्रस्ताव 17 का समर्थन करते हैं

- दो तिहाई से अधिक राज्य विधान मंडल—डेमोक्रैट्स और रिपब्लिकन ने California के मतदाताओं से प्रस्ताव 17 पर विचार करने के लिए कहने का समर्थन किया है।
- प्रस्ताव 17 में गंभीर और हिंसक अपराधों के दोषी लोगों सहित किसी की जेल अवधि को बदलने के लिए कुछ नहीं कहता है।

प्रस्ताव 17 पर हाँ में मतदान करें!

CAROL MOON GOLDBERG, अध्यक्ष
California के महिला मतदाताओं की लीग

JAY JORDAN, कार्यकारी निदेशक
Californians सुरक्षा और न्याय के लिए

ABDI SOLTANI, कार्यकारी निदेशक
अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन (ACLU)—उत्तरी California

इस पृष्ठ पर मुद्रित तर्क लेखकों के विचार हैं, और किसी भी आधिकारिक एजेंसी द्वारा सटीकता के लिए इनकी जांच नहीं की गई है।